न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 30/2013/ जिला–अजमेर (2013/00009)

जोधाराम पुत्र मगनाराम जाति जाट, निवासी नायकी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

..... अपीलांट

बनाम

घीसालाल पुत्र गलोल जाति जाट निवासी मेवदाकंला तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय तहसीलदार, केकड़ी दिनांक 21–03–2013
प्रार्थना पत्र संख्या –/2011 बउनवान जोधाराम बनाम घीसालाल

उपस्थित : 1. श्री एस.पी.ओझा अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मनीष कुमार खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 17.4.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 7–3–2011 को वसीयतनामे दिनांक 21–2–2011 के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम मेवदाकंला के हंसराज पुत्र हुकमा जाति जाट द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति अपंजीकृत वसीयत के द्वारा अपीलांट के नाम निष्पादित कर दी। उक्त वसीयत के आधार पर ग्राम मेवदाकंला में स्थित हंसराज की समस्त चल अचल सम्पत्ति अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार द्वारा पटवारी हलका को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हु आदेशित किया तथा उक्त पत्रावली को दिनांक 3–5–2011 को दर्ज कर वसीयत भूमि पर काबिज व्यक्ति को व वसीयतनामें में दर्ज गवाहों को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये तथा गवाहों के बयान करवाये गये। रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत तहसीलदार के

समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा विवादग्रस्त आराजी को कूटरचित होना बताया तथा दिनांक 21–2–2011 को हंसराज की मृत्यु होना बताया तथा उसी दिन वसीयत होने के आधार पर उक्त कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा वसीयत में दर्ज गवाहों के बयान लिये तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी अपने बयान प्रस्तुत किये गये तथा पक्षकारान की जिरह की गई तत्पश्चात तहसीलदार, केकड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21–3–2013 द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि का आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 40 के अनुसरण में मृतक के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पाये जाने वाले विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामें से स्पष्ट है कि खातेदार हंसराज ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति, जमीन, जायदाद मकान गुवाड़ी बाड़ा को जरिये वसीयतनामा दिनांक 21–2–2011 जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक था जिस पर वसीयतकर्ता हंसराज के अलावा गवाह में रामधन, महावीर, बद्रीलाल एवं राजेन्द्र प्रसाद की मौजूदगी में निष्पादित किया गया। इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना विधिसम्मत था। वसीयतकर्ता हंसराज अपीलांट के काकी ससुर लगते है जिनके कोई औलाद नहीं थी जिसकी सेवा चाकरी प्रार्थी की पत्नी ने की जिससे खुश होकर अपीलांट के काकी ससुर ने अपीलांट के नाम वसीयत की है। उक्त वसीयत को गवाहों द्वारा साबित करवाया गया। लेकिन तहसीलदार, केकड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि वसीयतकर्ता की मृत्यु एवं वसीयत करने की दिनांक एक ही है इसलिए उसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब वसीयत को साक्ष्य द्वारा साबित कर दिया गया था तो अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र खारिज करने के साथ ही मृतक के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पाये जाने वाले विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण बाबत आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वसीयत को स्पष्ट रूप से साबित करती है। मात्र उसी दिन की वसीयत होना अथवा वसीयत की मृत्यु के समय के संबंध में अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट तथा पटवारी हलका की

रिपोर्ट में विरोधाभास होने से प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–3–2013 निरस्त किया जाकर वसीयतनामें के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम मेवदा कंला तहसील केकड़ी में स्थित विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार स्व0 हुक्मा थे जिनके पारिवारिक सजरे अनुसार दो पुत्र क्रमश पोखर, हंसराज एवं दो पत्री गलोल व सोहनी हुए। हंसराज नाऔलाद फौत हो गया तथा पोखर के तीन पुत्रियां क्रमशः रामप्यारी, गमला, नेराज है एवं गलोल की मृत्यु हो चकी है जिनके घीसालाल एक पुत्र है तथा सोहनी भी फौत हो चुकी है जिनके एक पुत्री पिंकी है। हंसराज पुत्र हुक्मा जाट नाऔलाद फौत हो चुका है। स्व0 हंसराज आजीवन पोखर, गलोल के पास रहा तथा उसके बीमार रहने की स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट घीसालाल पुत्र गलोल ने ही उनकी सुवा चाकरी निःस्वार्थ भाव से की तथा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार हुक्मा की कृषि भूमि पोखर व हंसराज के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जो पुश्तैनी है जिसमें स्व0 हुक्मा के समस्त वारिसान का बराबर का हक व कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है और वर्तमान में भी है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा हसराज का स्वर्गवास होने पर सामाजिक रीति रिवाज अनुसार क्रियाक्रम, पिण्डदान आदि रेस्पोन्डेन्ट ने ही कराये थे तथा रस्म रिवाज अनुसार पगड़ी भी रेस्पोन्डेन्ट के ही बंधवाई गई थी स्व0 हंसराज रेस्पोन्डेन्ट का सगा मामा था। अपीलांट द्वारा फर्जी व कूट रचित तरीके से दस्तावेजात तैयार कर हंसराज की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया था। हंसराज हमेशा हस्ताक्षर करता था तथा अपीलांट जोधाराम ने फर्जी तरीके से अंगूठा लगाकर दस्तावेजात तैयार किया है तथा स्व0 हंसराज की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पुश्तैनी है उस पर उसके अकेले का अधिकार नहीं है। विवादग्रस्त चल व अचल सम्पत्ति संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य की है जिस पर आज भी रेस्पोन्डेन्ट का ही संयुक्त कब्जा है। अपीलांट का स्व0 हंसराज की चल अचल सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं है न हो सकता है। अपीलांट द्वारा स्व0 हंसराज द्वारा निष्पादित वसीयतनामें पर अंगूठा निशानी है जिससे उक्त वसीयतनामें को वसीयतकर्ता के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में स्वेच्छापूर्वक निष्पादित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार, केकड़ी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं गवाहों के बयानों को मध्यनजर रखते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–3–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा

वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी खरीदशुदा सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है जिसके मूल खातेदार स्व0 हुक्मा थे जिनके पारिवारिक सजरे अनुसार दो पुत्र क्रमश पोखर, हंसराज एवं दो पुत्री गलोल व सोहनी हुई। हंसराज नाऔलाद फौत हो गया तथा पोखर के तीन पुत्रियां क्रमशः रामप्यारी, गमला, नेराज है एवं गलोल की मृत्यु हो चकी है जिनके घीसालाल एक पुत्र है तथा सोहनी भी फौत हो चुकी है जिनके एक पुत्री पिंकी है। हंसराज पुत्र हुक्मा जाट नाऔलाद फौत हो चुका है। विवादग्रस्त चल एवं अचल सम्पत्ति पुश्तैनी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु एवं वसीयतनामें का निष्पादन एक ही दिनांक को होने से यह संदेह होता है कि वसीयतकर्ता के वसीयत निष्पादित करते समय वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। पटवारी की रिपोर्ट, अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट के बयानों आदि में वसीयतकर्ता की मृत्यु स्थल एवं मृत्यु के संबंध में विरोधाभासी बयान दिये गये है। तहसीलदार, केकड़ी द्वारा विधिक बिन्दुओं का समावेश करते हुए विधिसम्मत निर्णय दिनांक 21–3–2013 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एंव विशलेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार,केकड़ी) द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–03–2013 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या –/2011 बउनवान जोधाराम बनाम घीसालाल विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर